

	होगी, जब तक कि ऐसे ग्राम परिषद या द्वीप परिषद तथा उनके उन सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंटों जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, के घरों में लिखित नोटिस देने अथवा सुपुर्द करने के दो माह की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, और उस नोटिस में कार्रवाई का कारण, मांगी गई राहत की प्रकृति, दवा की क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई हो, तथा उस व्यक्ति का नाम तथा निवास स्थान जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, भी बतानी होगी । (3) प्रत्येक ऐसे कार्रवाई को वाद हेतुक की प्रोदभवन के पश्चात् छह माह के भीतर आरंभ करनी होगी और उसके पश्चात् नहीं ।	
	104. ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के प्रत्येक सदस्य तथा ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत जन सेवक समझा जाएगा ।	परिषदों के सदस्यों, आदि जन सेवक होंगे ।
	105. इस विनियम के तहत किसी ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के सदस्य या किसी बिक्री के संबंध में झूठी कर रहे उनके कोई अधिकारी ऐसे बिक्री में बिक रहे किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बोली नहीं लगा सकते ।	सदस्य आदि को बिक्री में भाग लेने से विरत रहना होगा ।
	106. प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस विनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल इसकी सूचना ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद को देंगे और वे ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद के सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों को अपने विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करते हुए सहायता करेंगे ।	अपराधों के संबंध में पुलिस के कर्तव्य तथा अधिकार और परिषदों की सहायता ।
	107. प्रत्येक ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद विहित रीति में अपने अभिलेखा का वर्गीकरण तथा संरक्षण करेगा ।	अभिलेखों का वर्गीकरण तथा संरक्षण ।
	108. प्रत्येक ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद को किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर अपने अभिलेखों की निरीक्षण की अनुमति देनी होगी तथा निर्धारित शुल्क की अदायगी पर उसकी प्रमाणिक प्रतियाँ भी देनी होगी ।	अभिलेखों का निरीक्षण तथा प्रतियाँ ।
	109.(1) इस विनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्रशासक इस विनियम के प्रावधानों से अनसंगत उन प्रावधानों को जो इसमें शामिल है, की कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन है, सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर सकता है । बशर्ते कि ऐसा आदेश इस विनियम के लागू होने से दो वर्षों की समाप्ति के बाद जारी नहीं होगा । (2) इस धारा के तहत बनाए प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।	कठिनाइयों को दूर करना ।